न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 03/2023
(GCMS 2023/3)(212233906966074)

श्री धर्मपाल पुत्र चेतराम जाति सहारण निवासी मालेर, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 77421–08801)

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री धर्मपाल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी श्री धर्मपाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 29.08.2022 को पेश किया था। तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने अपीलार्थी को आज दिनांक तक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए अपीलार्थी को तहसीलदार(राजस्व), सूरतगढ पर हर्जाना लगाये जाने और क्षतिपूर्ति राशि उसे दिलवाते हुए, उसके द्वारा वांछित सूचनाएं उसे निःशुल्क उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री धर्मपाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.08.2022 के द्वारा निम्न सूचना चाही थी:

> प्रमाणित प्रति सूचि नं. 4 व सूचि नं. 8 रोही मालेर के ख.नं. 20–21–23 व 32 वरवक्त च[illegible]ससे बना चक 3 एमआरएम की नकल [illegible] 2005 में चालू की गई और वर्ष 2012 में लागू की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2023/844 दिनांक 24.03.2023 से अपील का जवाब निम्नानुससार प्रेषित किया है:

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि प्रार्थी श्री धर्मपाल पुत्र चेतराम द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र चाही गई सूचना के संदर्भ में प्रार्थी को कार्यालय पत्रांक भू.अ./2022/4237 दिनांक 13.09.2022 द्वारा अवगत करवाया जा चुका है। पत्र की प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है। सूचना श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रस्तुत है।
>
> -sd-
> तहसीलदार (भू.अ.)
> सूरतगढ़

तहसीलदार,(भू.अ.), सूरतगढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2022/4237 दिनांक 13.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि कार्यालय के प्राप्त रिकॉर्ड में रोही मालेर की सूची नं. 4 व 8 उपलब्ध नहीं है। अतः वांछित सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।
>
> -sd-
> तहसीलदार (भू.अ.)
> सूरतगढ़

चूंकि तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है और प्रार्थी को भी उक्तानुसार अपने पत्रांक 4237 दिनांक 13.09.2022 द्वारा जवाब दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस [illegible] लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही [illegible] है **जो निश्चित अभिलेखो**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। **सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है।** सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, **किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इस प्रकार तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ द्वारा अपील का जो जवाब दिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:36 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 30.04.2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर